राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,बूंदी,(बूंदी)
जिला - बूंदी
जाति प्रमाण - पत्र

क्रमांक RJ/2017/[illegible] /04641452793
दिनांक17-01-2025
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या : 513347025

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक मीणा पुत्र/पुत्री श्री सत्यनारायण मीणा, माता का नाम - श्रीमती सर्मा देवी , गांव/नगर बैसाखी नगर पेट्रोल पंप के पास देवपुरा बूंदी जिला/डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, गोवा पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (आन्ध्र व कर्नाटक) अनुसूचित जातियाँ आदेश 1956, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (बिहार तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1959, संविधान (पंजाब तथा चण्डीगढ़ संघीय) अनुसूचित जातियाँ आदेश 1962, संविधान (पंजाब तथा चण्डीगढ़ संघीय) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजातियाँ (दादरा नगर हवेली) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमण तथा दीव) अनुसूचित जातियाँ आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमण तथा दीव) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1970

श्री दीपक मीणा गांव/नगर बैसाखी नगर पेट्रोल पंप के पास देवपुरा बूंदी जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है ।

नोट

1. यह जाति सामान्यतया निवासी की जाति की [illegible] अधिनियम 1950 की धारा 20 में है ।

2. राजस्थान सरकार के कार्मिक [illegible] अधिसूचित किया की अधिसूचना सं. [illegible] 21(37) [illegible]/[illegible]/[illegible]/08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन की व्यवस्था प्रदान की गयी है ।

3. उपर्युक्त प्रमाण-पत्र डिजिटल द्वारा हस्ताक्षरित करने पर ई-[illegible] के अनुसार मान्य किया गया है । सत्यापित की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जा सकता है ।

4. जारी प्रमाण प्रमाण किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित [illegible] के सम्बन्धित प्रमाण अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर से यह जारी किया प्रमाण के कार्यालय में रिकॉर्ड/रजिस्टर के लिए उपलब्ध है ।

5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है । अतः मान्य जारी करने के लिए मान्य है ।

6. जारी की गयी किसी भी प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। रिफरेंस संख्या : 24066013352

उपखण्ड अधिकारी,बूंदी,बूंदी

Signature valid
Digitally signed by Harbinder Dhaliwal Singh
Date: 2025.01.[illegible] 12:55:33 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

ENEC88

ई-मित्र ✤ e-Mitra ✤ राजस्थान सरकार